न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 60/2023
जीसीएमएस नम्बर 2023/123

निर्णय दिनांक 28.4.2025

1. कमलादेवी पत्नि रामलाल
2. मुखी उम्र 20 वर्ष पुत्री रामलाल
3. मुकेश उम्र 18 वर्ष पुत्र रामलाल — जाति नायक निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
4. सुमन बउम्र 16 वर्ष
5. माया बउम्र 14 वर्ष
6. सुलोचना बउम्र 12 वर्ष
7. ओमप्रकाश बउम्र 10 वर्ष
8. बनवारी बउम्र 8 वर्ष
9. मुर्ति बउम्र 6 वर्ष
10. राजबीर बउम्र 4 वर्ष

(4 से 10) नाबालिक जरिये संरक्षक माता कमलादेवी पत्नि रामलाल जाति नायक निवासी बाना

—वादीगण—

बनाम

1. रामलाल
2. भंवरलाल
3. प्रभूराम
4. हरिराम

पुत्रगण मूलाराम

5. शंकरलाल पुत्र सुगनाराम

जाति नायक निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़
7. उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय सूडसर/श्रीडूंगरगढ़

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक वादी।
2. श्री कैलाशचन्द्र सारस्वत अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 5
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके विरास्तन के खेत खसरा नम्बर 193 तादादी 11.5900 हैक्टेयर रोही देराजसर खसरा नम्बर 531/289 तादादी 0.6827 हैक्टेयर रोही ख्यिाणीबास तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। जिनमें वादीगण के पिता/पति का खसरा नम्बर 193 तादादी 11.5900 रोही देराजसर में 1/7 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 531/289 तादादी 0.6827 हैक्टेयर रोही ख्यिाणीबास सम्पूर्ण हिस्सा अवस्थित है। वादगत खेत खसरा नम्बर 193 तादादी 11.5900 हैक्टेयर रोही देराजसर में 1/7 हिस्सा खसरा नम्बर 531/289 तादादी 0.6827 हैक्टेयर रोही ख्यिाणीवास सम्पूर्ण हिस्सा भूमि पर कब्जा—काश्त व उपयोग—उपभोग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का लगातार चला आ रहा है तथा शेष पर प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 का कब्जा—काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादीगण के उक्त खेत आपसी पारिवारिक विभाजन में हिस्से पाती में आये हुए है तब से लगातार वादीगण अपनी हिस्सा भूमि पर तथा प्रतिवादीगण का शेष हिस्सा भूमि पर कब्जा—काश्त एवं उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। संयुक्त खातेदारान के आपस में वादीगण के खसरा नम्बर 193 तादादी 11.5900 हैक्टेयर में से 1/7 हिस्सा रोही देराजसर खसरा नम्बर 531/289 तादादी 0.6827 हैक्टेयर रोही ख्यिाणीबास में सम्पूर्ण हिस्सा, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 के शेष हिस्सा भूमि हिस्से पाती में आये हुए है। वादीगण उक्त खसरा नम्बर 193 तादादी 11.5900 हैक्टेयर रोही देराजसर खसरा नम्बर 531/289 तादादी 0.6827 हैक्टेयर रोही ख्यिाणीबास तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:37:53 IST
Reason: SelfAttested

करवाना चाहते है एवं इसी अनुसार वादीगण ने अपनी खातेदारी हिस्सा की कब्जा – काश्त की भूमि पर सुधार कार्य करवाकर उपजाऊ बना रखी है। तथा मेढ़ कर रखी है परन्तु भूमि का विधिवत रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादीगण को अपने हिस्से की कृषि भूमि से सम्बधित हर तरह कार्य करवाने एवं बैंक से ऋण लेने में कई तरीके की कठिनाई आती है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादगत खेतों के खातेदारी घोषणा एवं विभाजन बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से दिनांक 24.05.2023 को स्पष्ट इनकार कर दिया। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर रहे है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से दिनांक 24.05.2023 को वादगत खेतों की घोषणा एवं विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इनकार हो गये। और वादीगण को धमकिया दी कि वादगत खेतों में हमारे खातेदारी दर्ज है हमारे नाम है। हम वादगत को में से तुम्हे बेदखल कर देगे एवं वादगत खेतों को किसी अन्य शख्स को विक्रय कर देगे । वादगत खेतों में वादीगण का कब्जा काश्त होने एवं वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त खातेदारी के होने व प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 24.05.2023 की इनकारी से वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादाधार व वाद हेतु हासिल है। वादगत भूमि में हक वादीगण का कब्जा काश्त होने से आपसी पारिवारिक विभाजन के मुताबिक बनता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 बहकावे में आये हुए है तथा उपरवर्णित खेतों में आये हुए वादीगण के हक हिस्से से जबरदस्ती बेदखल करने व कब्जा छुडाने व विक्रय हस्तान्तरण करने की दिनाँक :– 24.05.2023 को धमकी दी और प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने कहा कि खेत खसरान हमारे नाम है हमारे खातेदारी दर्ज है इसलिए इस खेतों में हम तुम्हे घुसने नही देंगे। और इन खेतों के रकबे को किसी शख्स को अच्छी कीमत में विक्रय कर देंगे तब वादीगण ने दिनाँक 24.05.2023 को ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 से वादीगण के हिस्से की भूमि की घोषणा कराने तथा किसी तरह की मदाखलत नहीं करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये और धमकी दी तुम्हें वादगत खेतों में से एक बिस्वा भी भूमि नही देगे और खेतों से बेदखल कर देंगें व खेत को विक्रय कर देगे इसलिए वादीगण को दिनाँक 24.05.2023 को प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा, खाता विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का वाद हेतु (कॉज ऑफ एक्शन) उत्पन हो गया है। वादीगण का वादगत खेतों में कब्जा काश्त, मुखालफाना, आबाद एवं निरन्तर रुप से चला आ रहा है। वादीगण को अपने कब्जे काश्त की वादगत पैतृक कृषि भूमि की खातेदारी की हकुकों का विभाजन करवाना जरुरी हो गया है जिसका कॉज ऑफ एक्शन वादीगण को दिनाँक 24.05.2023 प्राप्त हो गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 वादीगण के कब्जा काश्त व टाईटल से इन्कार कर रहे है। वादीगण को वादगत खेतों की कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है। वादीगण को वादगत रकबा के हिस्से का हकदार एवं कब्जा–काश्त पिछले 20 वर्षो से होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है। अगर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 द्वारा वादीगण के खेतों विक्रय कर दिया तो वादीगण को कभी ना पूरा होने वाला अहम नुकसान होगा जिसकी भरपाई होना संभव नहीं है। वादीगण उक्त खेतों को शुरु से ही अपने हक हिस्सा में काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने दिनाँक 24.05.2023 को वादीगण को वादगत पर प्रवेश न करने, कृषि कार्य नही करने तथा प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 7 ने वादगत खेत में जबरदस्ती प्रवेश करने, कब्जा करने व वादगत खेतों को विक्रय करने की धमकियां दी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 7 को वादगत खेत में उनके हिस्से की भूमि की खाता विभाजन करवाने तथा किसी प्रकार की दखल न देने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 ने साफ इनकार कर दिया और धमकिया दी कि तुमको वादगत खेतों में न तो घुसने देंगे, ना ही तुम्हारे हिस्से की भूमि लेने देगे, वादगत खेतों से बेदखल कर विक्रय, बैय, हस्तान्तरण कर देंगे इस प्रकार वादीगण को प्रतिवादीगण सं[illegible] धमकी की दिनाँक से वाद हेतु प्राप्त है तथा वादगत खेतों में वादीगण का हिस्सा [illegible] होने से वादाधार प्राप्त हैं इसलिए वादीगण द्वारा उक्त दावा घोषणा, विभा[illegible] का प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है । वादीगण ने [illegible] विरुद्ध घोषणात्मक व विभाजन के अनुतोष का चाहा है। उक्त दावे में प्रति[illegible] के रुप राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है। स्टेट को दावा खाता तरमीम के [illegible]पचारिक पक्षकार बनाया गया है। स्टेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:57:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

विरुद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नहीं चाहा गया है। घोषणात्मक के दावे में दावा के अनुतोष में
वा दायरी से दो माह पूर्व जाब्ता दीवानी की धारा 80 (1) सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना
वश्यक है परन्तु उक्त दावा अत्यन्त ही अर्जेन्ट नेचर का है। अगर राजस्थान सरकार को दो माह
का नोटिस देकर इन्तजार किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 अपने गलत इरादे में
सफल हो जायेगा और दावा का मकसद ही समाप्त हो जायेगा इसलिए दावा दायरी से पूर्व धारा
80 (2) सी.पी.सी. की छूट हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर छूट प्राप्त कर उक्त दावा प्रस्तुत
किया जा रहा है। उक्त दावा में राज्य सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया।
वादीगण ने उक्त दावा प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणात्मक व विभाजन के अनुतोष का चाहा है।
उक्त दावे में प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 के उप पंजीयक श्रीडूंगरगढ़ एवं तहसीलदार को पक्षकार
संयोजित किया गया है। प्रतिवादीगण विक्रय विलेख का पंजीयन यहां ही करवायेंगे इसलिए दावे में
पक्षकार बनाया गया है । वादगत खेत रोही ख्यिाणीबास एवं देराजसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित
है । जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। दावा उचित न्याय शुल्क पर
समयावधि के भीतर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमानजी
से निवेदन है कि बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री आज्ञप्ति फरमाई
जावेः–

क. यह है कि वादीगण को खसरा नम्बर 193 तादादी 11.5900 हैक्टेयर रोही देराजसर में 9/70 खसरा नम्बर 531/289 तादादी 0.6827 हैक्टेयर रोही ख्यिाणीबास में 10/11 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाकर अलग से खाता विभाजन किया जावे व तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में तरमीम किया जावे।

ख. यह है कि प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 193 तादादी 11.5900 हैक्टेयर रोही देराजसर खसरा नम्बर 531/289 तादादी 0.6827 हैक्टेयर रोही ख्यिाणीबास तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत बैंजा नहीं करें ना करावे उक्त खसरा के किसी भी भाग को विक्रय, रहन, बैय, हस्तान्तरण नहीं करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें ना किसी अन्य से करावें जिससे वादीगण के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पडता हो । दौराने दावा मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें ।

ग. यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 9 को आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 193 तादादी 11.5900 हैक्टेयर रोही देराजसर खसरा नम्बर 531/289 तादादी 0.6827 हैक्टेयर रोही ख्यिाणीबास तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के उपरोक्तानुसार खाता विभाजन कर अलग से राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में संधारण करें । तद्नुसार ही अलग पास बुक जारी कर लगान कायम करें ।

घ. यह है कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या दौराने दावा हो जावे, वह भी वादीगण को प्रदान किया जावे ।

ड. यह है कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे ।

वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया कि वादगत खेत खसरा नम्बर 193 रकबा 11.5900 हैक्टेयर रोही देराजसर में प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपने 3/7 हिस्सा का परित्याग दिनांक 29.05.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में कर दिया गया एवं परित्याग होने के बाद वादगत खेत में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का 1/7–1/7 की बजाय 1/4–1/4 हिस्सा बराबर सृजित हो गया एवं मौका पर कब्जा काश्त भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 कि अपने हिस्सा अनुसार चली आ रही है। वादीगण ने दावा में अनुतोष खेत खसरा नम्बर 193 रकबा 11.590 हैक्टेयर रोही देराजसर में प्रतिवादी संख्या के साथ सहदायिकी के रूप में 9/70 हिस्सा चाहा हैं जबकि वादीगण का प्रतिवादी संख्या के साथ में परित्याग होने के बाद 9/40 हक हिस्सा बनता है तथा खेत खसरा नम्बर 531 रकबा 0.6827 रोही खियाणीवास में 9/10 हिस्सा बनता है। इस प्रकार वादीगण का हक हिस्सा घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई उज्र आपति नहीं है। एवं उपरोक्त अनुसार वादीगण का हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:37:53 IST
Reason: Self Attested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

घोषित किया जाकर वादीगण 2 ता 10 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन किया जाकर नक्सा तरमीम किया जाने का निवेदन किया गया।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 1 नियम 10 धारा 151 सी.पी.सी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी का पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पीसी. पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी अनापत्ति पेश किये जाने पर खसरा नम्बर 190 के स्थान पर खसरा नम्बर 193 अंकित किये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 1 नियम 10 धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया गया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 1 नियम 10 धारा 151 सी.पी.सी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर शंकरलाल पुत्र सुगनाराम जाति नायक निवासी बाना को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में पक्षकार संयोजित करने का आदेश दिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा संशोधित वाद शीर्षक पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। स्टेट की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत कर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा नम्बर 193 तादादी 11.5900 हैक्टेयर रोही देराजसर में से 1/4 हिस्सा का एवं खसरा नम्बर 531/289 तादादी 0.6827 हैक्टेयर रोही ख्याणीबास सम्पूर्ण का खातेदार घोषित किया जाकर तद्नुसार ही खसरा नम्बर 193 तादादी 11.5900 हैक्टेयर रोही देराजसर में से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से अनापत्ति पेश की गई। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नही की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में वादी एवं प्रतिवादीगण को वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 193 तादादी 11.5900 हैक्टेयर वाकेरोही देराजसर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 बहिस्सा बराबर एवं खसरा नम्बर 531/289 तादादी 0.6829 हैक्टेयर रोही ख्याणीबास में बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है एवं खेत खसरा नम्बर 193 तादादी 11.5900 हैक्टेयर वाकेरोही देराजसर में प्रतिवादी संख्या 2 व 4 को 1/4–1/4 बहिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा अपने हिस्से से प्रतिवादी संख्या 05 को 1.5000 हैक्टेयर भूमि विक्रय कर दी गई है, अतः खसरा नंबर 193 में प्रतिवादी संख्या 03 को हिस्से की शेष भूमि 1.3975 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार खातेदारी दर्ज कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखतें हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण के आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखतें हुए उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम उपरोक्तानुसार खातेदारी दर्ज कर एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम विक्रयपत्र के अनुसार नामान्तरकरण किया जाकर तद्नुसार विभाजन प्रस्ताव पेश करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:57:53 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल (R.A.S.)
उनवान

1. कमलादेवी पत्नि रामलाल
2. मुखी उम्र 20 वर्ष पुत्री रामलाल
3. मुकेश उम्र 18 वर्ष पुत्र रामलाल

जाति नायक निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ

4 सुमन बउम्र 16 वर्ष
5. माया बउम्र 14 वर्ष
6. सुलोचना बउम्र 12 वर्ष
7. ओमप्रकाश बउम्र 10 वर्ष
8. बनवारी बउम्र 8 वर्ष
9. मुर्ति बउम्र 6 वर्ष
10. राजबीर बउम्र 4 वर्ष

नाबालिक जरिये संरक्षक माता कमलादेवी पत्नि रामलाल जाति नायक निवासी बाना

बनाम

1. रामलाल
2. भंवरलाल
3. प्रभूराम
4. हरिराम

पुत्रगण मूलाराम

5. शंकरलाल पुत्र सुगनाराम

जाति नायक निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़
7. उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय सूडसर/श्रीडूंगरगढ़

दावा बाबत घोषणात्मक, विभाजन, चिरनिषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 60/2023
निर्णय दिनांकः 28.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता राजूराम बाना एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से कैलाश सारस्वत मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 193 तादादी 11.5900 हैक्टेयर वाकेरोही देराजसर में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 बहिस्सा बराबर एवं खसरा नम्बर 531/289 तादादी 0.6829 हैक्टेयर रोही ख्याणीबास में बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है एवं खेत खसरा नम्बर 193 तादादी 11.5900 हैक्टेयर वाकेरोही देराजसर में प्रतिवादी संख्या 2 व 4 को 1/4–1/4 बहिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा अपने हिस्से से प्रतिवादी संख्या 05 को 1.5000 हैक्टेयर भूमि विक्रय कर दी गई है, अतः खसरा नंबर 193 में प्रतिवादी संख्या 03 को हिस्से की शेष भूमि 1.3975 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार खातेदारी दर्ज कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखतें हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण के आ[illegible] को ध्यान में रखतें हुए उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम उपरोक्तानुसार [illegible] कर एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम विक्रयपत्र के अनुसार नामान्तरकरण किया जाकर [illegible] विभाजन प्रस्ताव पेश करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0.. फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:57:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वसिक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 28 माह 04 साल 2026 को जारी कि गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ़

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.05.05 17:57:53 IST
Reason: SelfAttested